



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 16.06.2026

थाना बडौत पुलिस, सर्विलांस सैल एवं स्वाट की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 401/26 धारा 191(2)/191(3)/190/ 3(5)/103(1) बी.एन.एस. में प्रकाश में आये 25 हजार रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं 02 खोखा कारतूस .315 बोर व एक मोटरसाईकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक

09.06.2026 को

वादी श्री राजेश

कुमार पुत्र स्व0

किशन प्रकाश

निवासी आर्य टेन्ट

हाऊस दिल्ली

सहारनपुर रोड

करबा व थाना

बडौत जनपद

बागपत ने लिखित

तहरीर दी कि

अभियुक्तों 1.वरूण

लुहारी पुत्र बाबूराम

मूल निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत हाल निवासी करबा व थाना

बडौत व अन्य व्यक्ति के द्वारा एक राय होकर अपने हाथों में तमन्चे व पिस्टल

लेकर वादी के परिजनों पर जान से मारने की नीयति से फायरिंग किया गया,



जिससे वादी के भाई सोहनलाल पुत्र स्व किशनप्रकाश व भतीजे विकास अग्रवाल पुत्र सोहनलाल की गोली लग गयी तथा उपचार हेतु सीएचसी ले जाने पर डाक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 401/26 धारा 191(2)/191(3)/190/3(5)/103(1) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना बड़ौत पुलिस, सर्विलांस सैल एवं स्वाट की संयुक्त टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना बड़ौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 401/26 धारा 191(2)/191(3)/190/3(5) /103(1) बी.एन.एस. में प्रकाश में आए आये 25 हजार रुपये के ईनामिया वांछित अभियुक्त को पुलिस द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के दौरान पुलिस मुठभेड़ के बाद घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है, , जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं 02 खोखा कारतूस .315 बोर व एक मोटरसाईकिल बरामद हुई है ।

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा थाना बड़ौत पुलिस, सर्विलांस सैल एवं स्वाट की संयुक्त 10 पुलिस टीमों का गठन किया गया था । गठित टीमों द्वारा अभियुक्त की तलाश में लगातार अथक प्रयास करते हुए विभिन्न राज्यों में दबिश दी गई तथा तकनीकी, सीसीटीवी फुटेज एवं मानवीय सूचना तंत्र के माध्यम से उसकी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी गई ।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में की गई आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त घायल हो गया । घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है । बागपत पुलिस जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

भीमसैन पुत्र ओमप्रकाश निवासी मंडौली कलां थाना बहल जनपद भिवानी हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण-

एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं 02 खोखा कारतूस .315 बोर व एक मोटरसाईकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री प्रियव्रत थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तोगी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 787 गौरीशंकर थाना बडौत थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 564 जितेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-का0 301 मुलायम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8- का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

सर्विलांस सैल एवं स्वाट टीम-

- उ0नि0 श्री संजय सिंह प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम ।
उ0नि0 रंजीत सिंह प्रभारी स्वाट मय टीम ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 16.06.2026

एसटीएफ मेरठ एवं थाना कोतवाली बागपत पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा खनन की असली रॉयल्टी में परिवर्तन कर कूटरचित तरीके से फर्जी रॉयल्टी तैयार कर राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने वाले गिरोह के 05 सदस्य गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण/

कार्यवाही-

दिनांक 16-06-2026

को एसटीएफ उत्तर

प्रदेश एवं थाना

कोतवाली बागपत

पुलिस को अंतर्राज्यीय

स्तर पर खनन की

असली रॉयल्टी में परिवर्तन कर कूटरचित तरीके से फर्जी रॉयल्टी तैयार कर राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने वाले गिरोह के 05 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

एसटीएफ उत्तर प्रदेश एवं थाना कोतवाली बागपत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गिरोह खनन की असली रॉयल्टी (आईएसटीपी) में बदलाव कर कूटरचित तरीके से फर्जी रॉयल्टी तैयार कर राज्य सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचा रहा है। सूचना के आधार पर संयुक्त टीम द्वारा पुलिस अधीक्षक जनपद बागपत के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन एवं आवश्यक कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर इंडियन नर्सिंग होम ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र से उपरोक्त 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्तों से पूछताछ करने पर अन्य अभियुक्त मंदीप तोमर क्लर्क पीडब्लूडी जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया, जिसे थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।



पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे अपने अन्य साथियों के माध्यम से व्हाट्सएप पर असली रॉयल्टी प्राप्त करते थे तथा पीडब्ल्यूडी एवं नगर निगम विभागों के कुछ क्लर्कों/ठेकेदारों की मांग के अनुसार रॉयल्टी में तिथि आदि में परिवर्तन कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उपलब्ध कराते थे। इसके एवज में उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होता था।

प्रारंभिक जांच में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि उक्त गिरोह लंबे समय से इस अवैध गतिविधि में संलिप्त था, जिससे राज्य सरकार को राजस्व की भारी क्षति पहुंचाई गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चैट व अन्य इलेक्टॉनिक साक्ष्य / मोबाइल/ सर्विलांस के आधार पर कुल 25 अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी नगर बागपत के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है, जिनके द्वारा बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

फरार/वांछित अन्य अभियुक्तों एवं संबंधित व्यक्तियों की जानकारी भी प्रकाश में आई है, जिनमें जाहिद उर्फ लालू प्रधान, मुस्तफा, दानिश, बहादुर, आशुतोष, राहुल उर्फ राजा सहित विभिन्न जनपदों के पीडब्ल्यूडी एवं अन्य विभागों के कुछ क्लर्क/कर्मचारी शामिल हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 383/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-नईम पुत्र इंतजार अली निवासी ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-तालिब पुत्र फारुख निवासी ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-फिरोज पुत्र अहमद अली निवासी ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-आरिफ पुत्र जाहिद निवासी बुढ्ढापीर सिवाल खास थाना जानी जनपद मेरठा।

5-मंदीप तोमर पुत्र राजवीर निवासी ग्राम लोयन मलकपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 लैपटॉप मय चार्जर व माउस
- 01 वैगनआर कार (UP-14 FK-4978)
- 08 मोबाइल फोन
- ₹2,950 नकद ।
- व्हॉट्सएप चैट व अन्य इलेक्टॉनिक साक्ष्य ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

इंडियन नर्सिंग होम ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
दिनांक 16-06-2026 ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

एसटीएफ टीम ।

थाना कोतवाली बागपत टीम ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 16.06.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 371/2026 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस में 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.06.2026
को वादी श्री रविन्द्र
पुत्र बिशनपाल सिंह
निवासी ग्राम सिसाना
थाना कोतवाली
बागपत जनपद
बागपत ने लिखित
तहरीर दी कि



अभियुक्तों 1- काला उर्फ यश पुत्र सुभाष, 2- सुमित पुत्र अजीत सिंह, 3- सागर पुत्र गुलाब, 4- सन्दीप पुत्र धनीराम निवासीगण ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत द्वारा उसके भाई रिनू उम्र 24 वर्ष की हत्या कर उसके शव को ग्राम सिसाना में प्लॉट में खडी बस में छिपा दिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 371/26 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 371/26 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- दिनाँक 11.06.2026 को उक्त अभियोग में 03 अभियुक्तों 1. सागर पुत्र गुलाब, 2. काला उर्फ यश पुत्र सुभाष, 3- सुमित पुत्र अजीत सिंह निवासीगण ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा विवेचना दौरान उक्त अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सन्दीप पुत्र धनीराम निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-है0का0 688 अश्वनी थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-का0 443 रामेन्द्र थाना कोतवाली बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 16.06.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 394/26 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना



बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 394/26 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- दिनांक 12.06.2026 को थाना बडौत पुलिस द्वारा अपहर्ता की बरामदगी की जा चुकी है एवं प्राप्त साक्ष्यों एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त विककी पुत्र उपेन्द्र निवासी ग्राम ईलायचीपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद मूलनिवासी ग्राम खरड़ थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

विककी पुत्र उपेन्द्र निवासी ग्राम ईलायचीपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद मूलनिवासी ग्राम खरड़ थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री आदित्य कुमार थाना बडौत ।
- 2-है०का० 233 गौतम थाना बडौत ।
- 3-का० 373 बबलू कुमार थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 16.06.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 204/26 धारा 65(2)/351(2) बीएनएस व 5M/6 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित बाल अपचारी के विरुद्ध की कार्यवाही ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 204/26 धारा 65(2)/351(2) बीएनएस व 5M/6 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र०नि० श्री मनोज कुमार चाहल थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 689 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 210 दानवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-का० 537 प्रशान्त कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 16.06.2026

बागपत पुलिस ने 08 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-आकाश पुत्र राकेश सिंह निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

2-सिराजूद्दीन पुत्र महमूद मिस्त्री निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-रामबाबू पुत्र राजवीर निवासी ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

4-इरफान पुत्र फरमूद निवासी ग्राम टाण्डा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

5- राहुल पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम ककौर खुर्द थाना छपरौली जनपद बागपत ।

6- सौदान पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम रन्छाड़ थाना बिनौली जनपद बागपत ।

7-पुनित पुत्र भारत भूषण उर्फ बबलू निवासी नया सुभानपुर थाना खेकडा जनपद बागपत।

8-ज्ञानेन्द्र पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम सुन्हैडा थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना छपरौली पुलिस टीम । (03 वारंटी)

2-थाना बडौत पुलिस टीम । (02 वारंटी)

3-थाना खेकड़ा पुलिस टीम । (02 वारंटी)

4-थाना बिनौली पुलिस टीम । (01 वारंटी)

